**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू**
**पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)**

मुकदमा नम्बर 39/2024 दायर दिनांक–15.03.2024

1. कमल किशोर क्याल पुत्र रामवतार क्याल
2. नंदकिशोर क्याल पुत्र रामवतार क्याल समस्त जाति महाजन निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादीगण

**बनाम**

1. अजय कुमार पुत्र शंकरलाल
2. अरूण कुमार पुत्र सत्यनारायण
3. आशिष क्याल पुत्र राजकुमार
4. इन्दु जालान पुत्री गिरधारीलाल
5. उमा मोदी पुत्री श्यामसुन्दर
6. कल्पना अग्रवाल पुत्री श्यामसुन्दर
7. कैलाशचंद्र पुत्र श्यामसुन्दर
8. कृष्ण कुमार पुत्र शंकरलाल
9. किशोर पुत्र रामोतार
10. घनश्याम पुत्र मोहनलाल
11. जयप्रकाश पुत्र अर्जनलाल
12. दयावती क्याल पत्नी सुरेन्द्र क्याल
13. नरेश क्याल पुत्र श्यामसुन्दर
14. निकुंज क्याल पुत्र संजय कुमार
15. पूनित क्याल पुत्र सुरेन्द्र क्याल
16. पियूष क्याल पुत्र सुरेन्द्र क्याल
17. विनोद क्याल पुत्र श्री लाल क्याल
18. मधु झुझुंनू वाला पुत्री गिरधारी लाल
19. मनीष कुमार पुत्र सांवरमल
20. मनोज अग्रवाल पुत्र गिरधारीलाल
21. महेश क्याल पुत्र श्यामसुन्दर
22. महेश कुमार पुत्र काशीप्रसाद
23. रेणु बगड़िया पुत्री श्री लाल क्याल
24. विजय क्याल पुत्र श्री लाल क्याल
25. विनोद कुमार पुत्र अर्जनलाल
26. विभा अग्रवाल पुत्री श्यामसुन्दर
27. श्रवण कुमार पुत्र सत्यनारायण
28. श्वेता प्रियदर्शन मुधंरा पुत्री राजकुमार
29. सरीता क्याल पत्नी राजकुमार
30. सीमा क्याल पुत्री संजय कुमार समस्त जाति महाजन निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
31. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सज्जन चाहर
वकील प्रतिवादी :– श्री नेमीचंद डूडी

**दावा बाबत : घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती**

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

## –:: निर्णय ::–

दिनांक–29.07.2024

वादीयागण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1949, 1950, 1954, 1955, 1957, 592, 656, 663, 665, 666 रकबा क्रमशः 0.4000, 0.6400, 1.0400, 0.8900, 1.1500, 1.8700, 0.8800, 0.9400, 1.2300, 0.1500 है0 भूमि स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा।

विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 30 की पैत्रिक संपति है। जिसमें जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/18 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन जमाबंदी में वादीगण संख्या 1 का नाम कमल पुत्र रामेतार है तथा वादीगण ने अपने पिता की फौतगी का नामान्तकरण दर्ज करवाया उसमें भी वादी संख्या 1 का नाम कमलकिशोर के नाम से भरा गया लेकिन जमाबंदी में गलती से प्रतिवादी संख्या 11 का नाम दर्ज कर दिया जो गलती से दर्ज कर दिया जबकि वादीगण संख्या में दो ही भाई हैथे किशोर नाम का कोई भी व्यवि नही है। और जब वादीगण के पिता फौत हुए उसका नामांतकरण जमाबंदी सम्वत 2054–57 में सही दर्ज किया गया था लेकिन वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–78 की जमाबंदी में गलती से कर्मचारियों ने एक नाम और प्रतिवादी संख्या 11 का नाम दर्ज कर दिया इसलिए प्रतिवादी संख्या 11 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से जमाबंदी हजफ किया जावे जिसके लिए उक्त वाद बाबत रिकॉर्ड दरूस्ती का पेश किया हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 9 का नाम हजफ कर उसका 1/18 हिस्सा वादी नं0 1 व 2 के नाम दर्ज कर वादी नं0 1 को 1/12 हिस्से का वादी नं0 2 को 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी नं0 1 का नाम कमल पुत्र रामोतार के स्थान पर कमल किशोर क्याल पुत्र रामोतार व वादी नं0 2 का नाम नन्दलाल पुत्र रामोतार के स्थान पर नन्द किशोर क्याल पुत्र रामोतार दर्ज करने हेतु प्रतिवादी न0 31 को तहरीर जारी हो।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 30 की ओर से वकील श्री नेमीचंद डूडी उप0। प्रतिवादी संख्या 31 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 31 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा शेष प्रतिवादीगण द्वारा दावा डिक्री किये जाने पर सहमति होने पर तनकीयात कायम नही की गई। वादी व प्रतिवादीगण की ओर से शहादत नही पेश करना जाहिर किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात आधार कार्ड कमल किशोर क्याल, पेन कार्ड कमल किशोर क्याल, पहचान पत्र कमल किशोर क्याल, आधार कार्ड नंद किशोर क्याल, पहचान पत्र नंद किशोर क्याल, पासपोर्ट नंद किशोर क्याल आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी व प्रतिवादी ने वाद अनुसार निर्णय जारी करने हेतु सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 9 का नाम गलत रूप से दर्ज किया गया है अतः प्रतिवादी संख्या 09 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर वादीगण प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्स का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा वादी नं0 1 का नाम कमल पुत्र रामोतार के स्थान पर कमल किशोर क्याल पुत्र रामोतार व वादी नं0 2 का नाम नन्दलाल पुत्र रामोतार के स्थान पर नन्द किशोर क्याल पुत्र रामोतार दर्ज किया जाना उचित है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

### :: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1949, 1950, 1954, 1955, 1957, 592, 656, 663, 665, 666 रकबा क्रमशः 0.4000, 0.6400, 1.0400, 0.8900, 1.1500, 1.8700, 0.8800, 0.9400, 1.2300, 0.1500 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 09 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर वादीगण प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी नं0 1 का नाम कमल पुत्र रामोतार के स्थान पर कमल किशोर क्याल पुत्र रामोतार व वादी नं0 2 का नाम नन्दलाल पुत्र रामोतार के स्थान पर नन्द किशोर क्याल पुत्र रामोतार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

18

को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( हवाई सिंह यादव )
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

19

( ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी )
**अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़**
**मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)**

**<u>दावा बाबत</u> : <u>घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती</u>**

**मुकदमा सं0:– 39 / 2024** **( कमल किशोर बनाम अजय कुमार आदि )**

## <u>अंतिम डिक्री</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 29.07.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1949, 1950, 1954, 1955, 1957, 592, 656, 663, 665, 666 रकबा क्रमशः 0.4000, 0.6400, 1.0400, 0.8900, 1.1500, 1.8700, 0.8800, 0.9400, 1. 2300, 0.1500 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 09 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर वादीगण प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी नं0 1 का नाम कमल पुत्र रामोतार के स्थान पर कमल किशोर क्याल पुत्र रामोतार व वादी नं0 2 का नाम नन्दलाल पुत्र रामोतार के स्थान पर नन्द किशोर क्याल पुत्र रामोतार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.07.2024 को जारी की गई।

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ

| मुद्दई | रूपया पैसे | मुद्दासलह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 04.00 | स्टाम्प अर्जी दावा | 0.00 |
| वकालतनामा स्टाम्प | 02.00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | स्टाम्प अर्जी | – |
| महनताना वकील | – | महनताना वकील | – |
| खर्चा गवाहान | – | खर्चा गवाहान | – |
| फीस कमिश्नर | – | फीस कमिश्नर | – |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | – | बाबत इजराय हुक्मनामा | – |
| मुतफरिक मिजान | 06.00 | मुतफरिक मिजान | 0.00 |
| कुल | 12.00 | | 0.00 |